न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - आगरा, तहसील - आगरा

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802025025678

आवेदक का नाम :- कृष्णा बिल्डजॉन एल एल पी डैजीग्नैटेड द्वारा शशांक अग्रवाल

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश पत्रक

मौजा- कुण्डौल आगरा

आदेश।

कृष्णा बिल्डजोन एल0एल0पी0 डैजीग्नैटेड द्वारा शशांक अग्रवाल पुत्र श्री मुकेश कुमार अग्रवाल निवासी–4/एस 38ए ब्लॉक संख्या 38/4 समृद्धि बिल्डिंग संजय प्लेस आगरा द्वारा मौजा कुण्डौल तहसील व जिला आगरा की खाता सख्या 01008 की गाटा सख्या 1608 रकवा 0.5500 हैक्टे0 व गाटा संख्या 1609 रकवा 0.2840 हैक्टे0 में से आंशिक रकवा 0.0816 हैक्टे0 व गाटा संख्या 1610 रकवा 0.0700 हैक्टे0 में से आंशिक रकवा 0.0180 हैक्टे0 कुल किता 03 कुल रकवा 0.9040 हैक्टे0 में से आंशिक रकवा 0.6496 हैक्टे0 भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण की जॉच तहसीलदार सदर आगरा को अभिलेखीय परीक्षण एवं स्थलीय जॉच करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार सदर आगरा ने अपनी जॉच आख्या दिनांक 06.05.2025 को प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया है कि मौजा कुण्डौल तहसील व जिला आगरा की खाता सख्या 01008 की गाटा सख्या 1608 रकवा 0.5500 हैक्टे0 व गाटा संख्या 1609 रकवा 0.2840 हैक्टे0 में से आंशिक रकवा 0.0816 हैक्टे0 व गाटा संख्या 1610 रकवा 0.0700 हैक्टे0 में से आंशिक रकवा 0.0180 हैक्टे0 कुल किता 03 कुल रकवा 0.9040 हैक्टे0 में से आंशिक रकवा 0.6496 हैक्टे0 भूमि पर कृष्णा बिल्डजोन एल0एल0पी0 डैजीग्नैटेड द्वारा शशांक अग्रवाल पुत्र श्री मुकेश कुमार अग्रवाल निवासी–4/एस 38ए ब्लॉक संख्या 38/4 समृद्धि बिल्डिंग संजय प्लेस आगरा का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अभिलेख/खतौनी में दर्ज है। सहखातेदार द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक उक्त भूमि को अकृषिक घोषित कराना चाहता है तो सहखातेदार को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी द्वारा मु0 1000/–रू0 का सीमांकन शुल्क चालान संख्या–ई 721373 दिनांक–07.05.2025 के द्वारा दाखिल किया है। आवेदक उक्त भूमि के मालिक काबिज दखील है। प्रश्नगत भूमि में पशुपालन, मत्स्यसम्बर्द्वन एवं कुक्कुटपालन आदि का कार्य नही हो रहा है व कृषि कार्य नही हो रहा है प्रश्नगत भूमि पर बाउण्ड्रीवाल है। स्थल के फोटोग्राफ संलग्न है। प्रश्नगत भूमि पट्टे की नही है। सी0एच0 41–45 की नकल संलग्न है। प्रश्नगत भूमि किसी भी योजना प्रस्तावित में अधिग्रहित नही है। प्रश्नगत भूमि किसी भी महायोजना/सरकारी योजना अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नही है। प्रश्नगत भूमि नगर निगम आगरा व आगरा विकास प्राधिकरण की सीमा से बाहर है। प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि नही है। सार्वजनिक प्रयोग मे नही है, जैसे– तालाब, पोखर, कब्रिस्तान, चारागाह तथा नही भूमि नजूल एवं राजकीय आस्थान की है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है नही ऐसा कोई आदेश खतौनी पर दर्ज हे। उक्त भूमि ग्रामसभा/सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कृषि कार्य नही हो रहा है। नकल खसरा संलग्न है। भूमि को नक्शे में तोतई स्याही से दर्शाया गया है। भूमि किसी योजना में अधिगृहीत/प्रस्तावित नहीं है। भूमि को आबादी/अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया है कि प्रश्नगत भूमि पर वह भविष्य में कृषि कार्य नही करेगा। राजस्व संहिता 80(2)नियमावली के नियम 85(1) के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय आगरा द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार इस कृषि भूमि की दर 1,35,00,000/–रूपये प्रति हैक्टे0/0.6496×1,35,00,000=87,69,600 का 1 प्रतिशत 87,696 व 50/–रू0 की कोर्ट फी स्टाम्प अदा किये जाने पर अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है। मौजा कुण्डौल आगरा विकास प्राधिकरण आगरा की क्षेत्र सीमा से बाहर है।

तहसीलदार सदर आगरा की आख्या दिनांक 06.05.2025 जिसके साथ संलग्नक नक्शा जिसे लेखपाल द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। साथ ही स्थल का नजरी नक्शा तोतई रोशनाई से प्रदर्शित किया गया है। नकल खतौनी में आवेदक का नाम संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार के रूप में अंकित है। नकल खसरा व प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न कर भेजा है। क्योंकि तहसील आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कृषि कार्य नही हो रहा है। आवेदक द्वारा अपने शपथपत्र में यह स्वीकार किया है।

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - आगरा, तहसील - आगरा

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802025025678

आवेदक का नाम :- कृष्णा बिल्डजॉन एल एल पी डैजीगनैटेड द्वारा शशांक अग्रवाल

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश पत्रक

आवेदक ने मौजा कुण्डौल तहसील व जिला आगरा की खाता सख्या 01008 की गाटा सख्या 1608 रकवा 0.5500 हैक्टे0 व गाटा संख्या 1609 रकवा 0.2840 हैक्टे0 में से आंशिक रकवा 0.0816 हैक्टे0 व गाटा संख्या 1610 रकवा 0.0700 हैक्टे0 में से आंशिक रकवा 0.0180 हैक्टे0 कुल किता 03 कुल रकवा 0.9040 हैक्टे0 में से आंशिक रकवा 0.6496 हैक्टे0 भूमि को अकृषक घोषित किये ज़ाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार इस कृषि भूमि की 1,35,00,000/-रूपये प्रति हैक्टे0/0.6496×1,35,00,000=87,69,600 का 1 प्रतिशत 87,696 व 50/-रू0 न्याय शुल्क कुल धनराशि 87,746 रू0 रिफ्रेन्श नम्बर **सी पी ए एफ सी वी क्यू डी 4 दिनांक 12.05.2025** की प्रति, प्रार्थी द्वारा न्यायालय में दाखिल की गयी है। तहसीलदार सदर की आख्या के साथ संलग्न शपथपत्र आदि से संतुष्ट होते हुये **उक्त प्रश्नगत भूमि मौजा कुण्डौल तहसील व जिला आगरा की खाता सख्या 01008 की गाटा सख्या 1608 रकवा 0.5500 हैक्टे0 व गाटा संख्या 1609 रकवा 0.2840 हैक्टे0 में से आंशिक रकवा 0.0816 हैक्टे0 व गाटा संख्या 1610 रकवा 0.0700 हैक्टे0 में से आंशिक रकवा 0.0180 हैक्टे0 कुल किता 03 कुल रकवा 0.9040 हैक्टे0 में से आंशिक रकवा 0.6496 हैक्टे0 को धारा–80(2) राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है।** प्रश्नगत भूमि के मध्य अन्य सार्वजनिक भूमि घोषित होने एवं विकास से सम्बन्धित किसी सरकारी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत होने की स्थिति व अन्य किसी सक्षम न्यायालय से कोई विपरीत आदेश पारित होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80(2) के अन्तर्गत प्रख्यापन आदेश शून्य/निष्प्रभावी होगा। यह आदेश भूमि के अकृषक प्रयोग उद्घोषणा मात्र है। तहसीलदार सदर की आख्या आदेश का अंग होगी। तद्नुसार प्रख्यापन जारी हो। आदेश की प्रति सब रजिस्ट्रार तहसील आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 15.05.2025

15/05/25

(सचिन राजपूत)
उप जिलाधिकारी(सदर)
आगरा।

TRUE COPY

08/7/25

भारत पाँच रुपये COURT FEE

भारत एक रुपया COURT FEE

भारत दो रुपये TWO RUPEES INDIA Rs.2 COURT FEE

महोदय,

संलग्न प्रार्थना पत्र वाद संख्या T802025025678, ग्राम- कुण्डौल तहसील व जिला- आगरा की खाता संख्या-01008 गाटा संख्या-1608 रकबा 0.5500 हे0 मा0गु0 14.25/रू0, गाटा संख्या 1609, रकवा 0.2840 है0 मे से 0.0816 है0 मा0गु0 2.11 /-रू0, गाटा संख्या 1610 रकवा 0.0700 है0 मे से 0.0180 है0 मा0गु0 47 पैसै कुल किता 3 कुल कुल रकवा 0.9040 है0 मे से 0.6496 है0 पर कृष्णा बिल्डजॉन एल एल एल पी डैजीग्नैटेड द्वारा शशांक अग्रवाल पुत्र श्री मुकेश कुमार अग्रवाल निवासी 4/एस-38ए, ब्लॉक सं0 38/4 समृद्धि बिल्डिग संजय प्लेस आगरा ने उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र की जांच की गई, स्थल निरीक्षण किया गया। राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। आख्या निम्नवत है।

1. प्रश्नगत खाता संख्या-01008 गाटा संख्या-1608 रकबा 0.5500 हे0 मा0गु0 14.25/रू0, गाटा संख्या 1609, रकवा 0.2840 है0 मे से 0.0816 है0 मा0गु0 2.11 /-रू0, गाटा संख्या 1610 रकवा 0.0700 है0 मे से 0.0180 है0 मा0गु0 47 पैसै कुल किता 3 कुल कुल रकवा 0.9040 है0 मे से 0.6496 है0 पर कृष्णा बिल्डजॉन एल एल एल पी डैजीग्नैटेड द्वारा शशांक अग्रवाल पुत्र श्री मुकेश कुमार अग्रवाल निवासी 4/एस-38ए, ब्लॉक सं0 38/4 समृद्धि बिल्डिग संजय प्लेस आगरा का नाम बतौर सं0भू0 राजस्व अभिलेखों/खतौनी में दर्ज है। स्थल पर काबिज व दखील है।
2. प्रश्नगत भूमि कृषि, उद्यानीकरण, पशुपालन, मत्स्यसम्बर्द्धन एंव कुक्कुटपालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है। कृषि कार्य नही हो रहा है,। स्थल के फोटोग्राफ साथ में संलग्न है।
3. प्रश्नगत भूमिं किसी भी योजना प्रस्तावित में अधिग्रहीत नहीं है। तथा प्रश्नगंत भूमि नगर निगम आगरा व आगरा विकास प्राधिकरण की सीमा से बाहर है।
4. प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि नहीं है। सार्वजनिक प्रयोग में नहीं है, जैसे-तालाब, पोखर, कब्रिस्तान, चारागाह , तथा न ही भूमि नजूल एव राजकीय आस्थान की है। सी0एच0-45 व सी0एच0-41 की नकल संलग्न है। खसरा साथ में संलग्न है।
6. प्रश्नगत भूमि को लेकर वर्तमान में कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है तथा न ही ऐसा कोई आदेश खतौनी पर दर्ज है।
7. प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कृषि कार्य नही हो रहा है तथा मौके पर बाउण्ड्रीवाल हो रही है।
8. प्रश्नगत भूमि में आठ सहखातेदार है। जिनके सहमति शपथपत्र सलंग्न है।

अतः आवेदक कृष्णा बिल्डजॉन एल एल एल पी डैजीग्नैटेड द्वारा शशांक अग्रवाल पुत्र श्री मुकेश कुमार अग्रवाल निवासी 4/एस-38ए, ब्लॉक सं0 38/4 समृद्धि बिल्डिग संजय प्लेस आगरा की भूमि ग्राम कुण्डौल की खाता संख्या-01008 गाटा संख्या-1608 रकबा 0.5500 हे0 मा0गु0 14.25/रू0, गाटा संख्या 1609, रकवा 0.2840 है0 मे से 0.0816 है0 मा0गु0 2.11 /-रू0, गाटा संख्या 1610 रकवा 0.0700 है0 मे से 0.0180 है0 मा0गु0 47 पैसै कुल किता 3 कुल कुल रकवा 0.9040 है0 मे से 0.6496 है0 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 (1) के नियम 85(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या सेवा में प्रेषित है।
सादर अग्रेतानुसार

02/5/25
सचिन जैन
लेखपाल
क्षेत्र.........................
तहसील सदर आगरा

महोदय
लेखपाल आख्या संस्तुति सहित सम्प्रेषित
03/05/25
R.I.K.

अग्रसारित
06.5.25
तहसीलदार सदर
आगरा

नजरी नक्शा
ग्राम - कुण्डोल (आगरा)
गा० नं० 1608, 1609, 1610

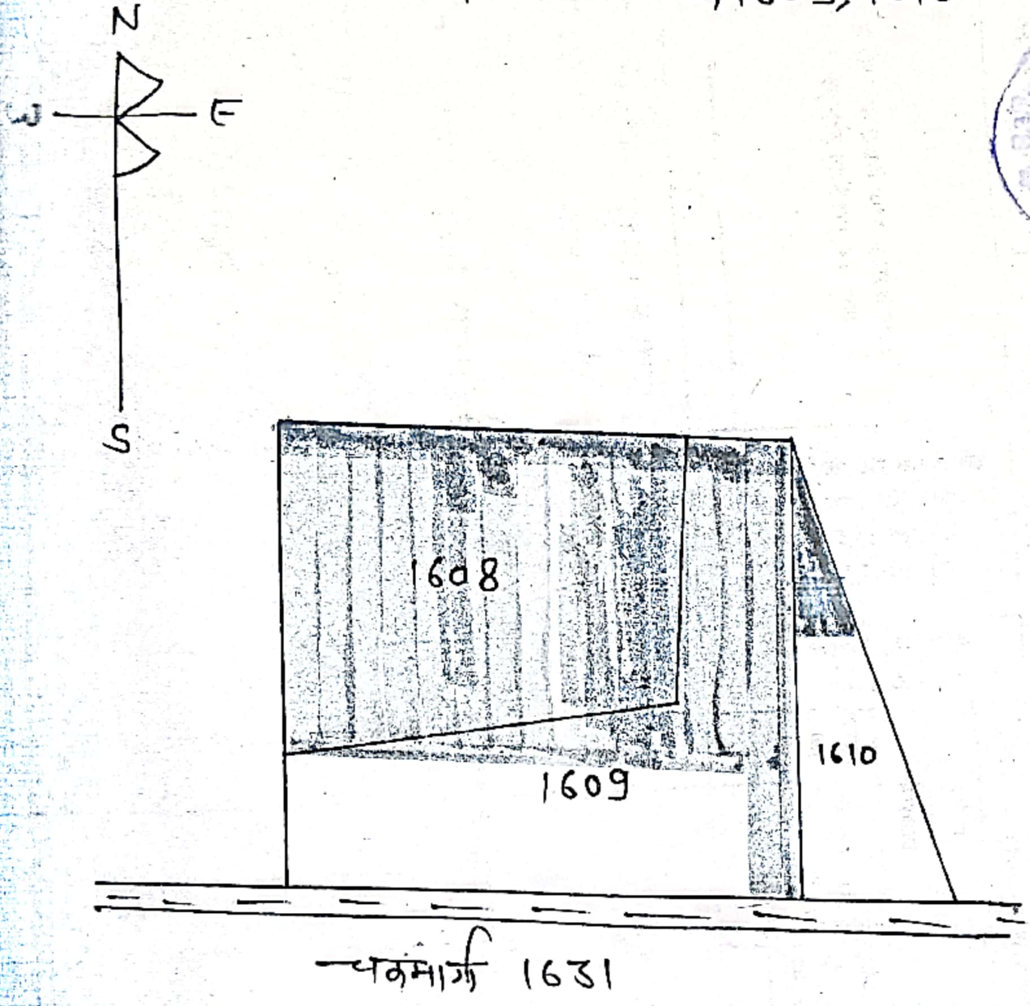

धारा 80 हेतु प्रस्तावित भू भाग

सचिन जैन
लेखपाल
क्षेत्र......
तहसील सदर आगरा